संख्या–119 /पचासी–2011–10(परती भूमि)/08टी.सी.

प्रेषक,

बी0एम0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
टी.सी./19वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊः दिनांकः 18 मई, 2011

विषयः उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन परियोजना–तृतीय के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न शासनादेशों व्दारा सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता की स्वीकृति

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1ए/206/2009 (वाल्यूम–111)/80, दिनांक 23–2–2011 के सन्दर्भ में तथा परती भूमि विकास विभाग के शासनादेश संख्या–89/पचासी–2008–10(परती भूमि)/08, दिनांक 2–9–2008, व शासनादेश संख्या–158/ पचासी–2008–10 (परतीभूमि) /08, दिनांक 17–10–2008 एवं शासनादेश संख्या–174/ पचासी–2009–10 (परती भूमि)/08 टी.सी.(क), दिनांक 20 मई, 2009 तथा शासनादेश संख्या–129/पचासी–2009–10 (परती भूमि)/08, दिनांक 25 मई, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन परियोजना–तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर उक्त संदर्भित शासनादेशों व्दारा सृजित कुल 774 अस्थाई पदों को, वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 28–2–2011 तक निरन्तर चलते रहने की स्वीकृति शासनादेश संख्या–158/ पचासी–2010–19 (परती भूमि)/टीसी0, दिनांक 02 मार्च, 2010 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2– चूँकि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन परियोजना–तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु पदों को बनाये रखने के लिये आवश्यक बताया गया है, अतः उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, प्रश्नगत 774 अस्थायी पदों की निरन्तरता चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में 29 फरवरी, 2012 तक बनाये रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3– यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1–2–877/दस–92–24(87)/92, दिनांक 17–11–1992 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–119 (1)/पचासी–2011–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1, उ0प्र0शासन।
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश)
अनु सचिव।